

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2019 राजस्व अपील

1. हरवीर पुत्र बुद्धाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भालपुर तहसील सिकराय जिला दौसा
अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार सिकराय दिनांक 19.02.2019 प्रकरण उनवानी
सरकार बनाम हरवीर प्रकरण संख्या 23/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड
रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त उप0।

: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :—

दिनांक: 17.06.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा संवत् 2075 में ग्राम भालपुर तहसील सिकराय में स्थित बरानी-1 (सिवायचक) भूमि खसरा नंबर 290 रकबा 0.75 है0 पर गेहू की काश्त अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 19.02.2019 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.2019 में से 90 दिन का सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।




जिला कलक्टर
दौसा



प्रकरण संख्या : 17 / 2019 राजस्व अपील

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त नें संवत 2075 में ग्राम भालपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 290 रकबा 0.75 है0 किस्म बारानी-1 (सिवायचक) पर गेहू की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 19.02.2019 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं अपील में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात अथवा शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 19.02.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 23/2019 उनवानी सरकार बनाम हरवीर में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2019 के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)

अति0 जिला कलक्टर, दौसा

(लोकेश कुमार मीना)

अति0 जिला कलक्टर, दौसा

